भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 48

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

दावा रहित लाभांश पर कंपनियों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया

48. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के लिए दावा रहित लाभांश, जमाराशियों और शेयर आवेदन रिफंड संबंधी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेशकों के लिए दावा प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने में उपयुक्त प्रणाली किस हद तक सहायक है;

(घ) क्या विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में कुल बकाया राशि 6000 करोड़ रुपये से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनियों द्वारा फ़ाइल किए जाने वाले अपेक्षित प्ररूपों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। यह प्ररूप आईईपीएफ-3 को आईईपीएफ़-4 के साथ और प्ररूप आईईपीएफ-7 को आईईपीएफ-1 के साथ विलय करके हासिल किया गया है। आईईपीएफ निधि में राशि के अंतरण को एमसीए21 के माध्यम से भारतकोष के साथ एकीकृत किया गया है और सभी कंपनी प्ररूपों को मैनुअल हस्तक्षेप के बिना एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) के माध्यम से रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है।

(ग): चूंकि आईईपीएफ को निधि का अंतरण और रिपोर्टिंग को एसटीपी बना दिया गया है, इसलिए दावेदार आईईपीएफ को अंतरण की गई सभी राशि की वापसी का दावा एक साथ एक ही दावे में कर सकेंगे।

(घ) और (ड़): आईईपीएफ़ प्राधिकरण में वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में लाभांश के लिए निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

निधि में सकल प्राप्ति (करोड़ रूपये में)	**रिफंड आदि के बाद नेट बैलेंस (करोड़ रूपये में)**
8237.20 रुपये	8107.81 रुपये

*****